हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चौदहवां सत्र

वीरवार, 9 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए — पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 35वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **163वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 143वें मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **164वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 144वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **34वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 26वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री सतपाल सिंह सत्ती, "दिनांक 28 फरवरी, 2017 को अमर उजाला समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **"खाली पेयजल टैंक में मिला कंकाल, सनसनी"**, से उत्पन्न स्थिति की ओर **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

6. **<u>मन्त्री द्वारा वक्तव्य:</u>**

श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री, दिनांक 26 अगस्त, 2016 को सभा में पारित गैर-सरकारी सदस्य संकल्प **'प्रदेश में जंगली जानवरों/आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए एक वृहद योजना बना कर वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को भेजी जाए'** प्रस्ताव पर कृत कार्रवाई बारे सदन को अवगत करवायेंगे ।

7. **<u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u> :**

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171 004 — सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 8 मार्च, 2017 — सचिव ।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

चौदहवां सत्र

वीरवार, दिनांक 9 मार्च, 2017 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले
गैर-सरकारी सदस्य के संकल्पों की सूचीः

क्र0 संख्या	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री इन्द्र सिंह:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सरकारी विद्यालयों में समस्त सुविधाओं के बावजूद विद्यार्थियों की घटती संख्या पर रोक लगाने हेतु ठोस नीति बनाई जाए।"
2.	श्री महेश्वर सिंह:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों से प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल-पौधों इत्यादि का मूल्यांकन कर उचित मुआवजा दिलवाया जाए और विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु नीति निर्धारित की जाए।"
3.	डॉ0 राजीव बिन्दल:	"यह सदन सरकार से मांग करता है कि सरकारी, अर्धसरकारी, बोर्ड-निगमों एवं नगर पालिकाओं में पार्ट टाईम, आउट सोर्सिंग, एस0एम0सी0, पी0टी0ए0 व सोसाईटी के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती बंद करके शैक्षणिक योग्यता व परीक्षा के आधार पर केवल कर्मचारी चयन आयोग से सीधी भर्ती करने हेतु नीति बनाये।"
उक्त के अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव जो कि दिनांक 22-12-2016 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है पर आगे चर्चा होगी।		
	श्री रविन्द्र सिंहः	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "खुदरों दरखतान-तहजमीन मालिकान-मलकियत सरकार" का मालिकाना हक प्रदेश के किसानों को दिया जाए।"

सचिव,
विधान सभा।

****